09/07/2021 प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री किशन सिंह आज अपने वकील श्री पूरण सिंह रावत एडवोकेट के माध्यम से निगरानी स्वीकार किये जाने पर। वकील वादी ने एक सप्लिमेन्ट्री पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादपत्र को "हमारा नहीं" लिखना था तथा इसी स्टेज पर संशोधन करवाना। प्रार्थनापत्र मान्य है वकील वादी द्वारा एडवोकेट स्वीकार किया जाकर वादपत्र में कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाती है। प्रार्थी को मुकदमा ठीक तरीके से करने के बारे में हिदायत दी।

Identified
Advocate

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:30:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner